



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246877
CG-DL-E-30062023-246877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2703]
No. 2703]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जून, 2023
सं. 15/2023

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 96 के सीटीएच 9613 के तहत शामिल सिगरेट लाइटर्स की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 2826(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-96 के तहत शामिल निम्नलिखित एचएस कोड हेतु आयात नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती हैं।

एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	नयी नीतिगत शर्त
96131000	पॉकेट लाइटर्स, गैस से भरा जाने वाला, पुनः न भरने योग्य	मुक्त	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 20/- रुपये प्रति लाइटर या इससे अधिक है तो आयात मुक्त होगा।
96132000	पॉकेट लाइटर्स, गैस से भरा जाने वाला, पुनः भरने योग्य	मुक्त	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 20/- रुपये प्रति लाइटर या इससे अधिक है तो आयात मुक्त होगा।

2. अधिसूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस) 96131000 और 96132000 के तहत सिगरेट लाइटर्स की आयात नीति को 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' किया गया है। तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 20/- रुपये प्रति लाइटर या इससे अधिक है तो आयात मुक्त होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/विविध 39/एम-20/पीसी-2(ख)/ई-22950]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2023

No. 15/2023

Subject: Amendment in import policy condition of Cigarette lighters Covered under CTH 9613 of Chapter 96 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

S.O. 2826(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government amend the import policy condition for the following HS Codes covered under Chapter 96 of the ITC (HS), 2022, Schedule -I (Import Policy) as under:

HS codes	Item Description	Existing Policy	Revised Policy	New Policy Condition
96131000	Pocket lighters, gas fuelled, non- refillable	Free	Prohibited	However, import is "Free" if CIF value is Rs. 20/- or above per lighter
96132000	Pocket lighters, gas fuelled, refillable	Free	Prohibited	However, import is "Free" if CIF value is Rs. 20/- or above per lighter

2. Effect of the Notification:

The import policy of Cigarette lighters under ITC (HS) Codes 96131000 and 96132000 is revised from "Free" to "Prohibited". However, import shall be free if CIF value is Rs. 20/- or above per lighter.

This issue with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/misc.39/AM-20/PC.II(B) /E-22950]

RAJESH AGRAWAL, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.